

20-8530 29 04/1-19/19 B K Y M 19/19

न
अहक
की ता

7/5/18
उपरोक्त अधिका
दिनांक 16/10/15
जो फलन में पत्रावली वास्ते 2/09/18
दिनांक 7/5/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठुमर (अलवर)

7/5/18

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आदेशित लोक
अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पात्र माना है। अतः परामर्श
लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय

पर दिनांक 29.5.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठुमर (अलवर)

29.5.18

फल वली कैम्प कोर्ट में पेश, इत्यादि ककील
जहाँ उपस्थित। मूल दस्तावेजों को गणना
केत, जो 20/04/18 को ही दिनांक
हो सम्बन्धी फलन शुभ देकर सिद्धांत पर
हो शुभम्